

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 15/2017

सायल :-
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:-
मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान
निवासी 120 बी., सुभाष नगर ए, पाली पुलिस
थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 20.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 13.07.2017 को गैरसायल मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी 120 बी., सुभाष नगर ए, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2012 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	औ0 क्षेत्र	349/25.07.12	13 RPGO	सीजेएम कोर्ट पाली से 100/- रुपये जुर्माना
2	औ0 क्षेत्र	367/05.08.15	13 RPGO	सीजेएम कोर्ट पाली से 50/- रुपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी 120 बी., सुभाष नगर ए, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली जुए के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन जुहारी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला

पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 एवं गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में जुए का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 335/2012 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रुपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 364/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2015 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50 रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मोहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी 120 बी., सुभाष नगर ए, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सादडी जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 05.04.2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना सादडी जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी सादडी जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मोहम्मद शरीफ, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक

करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, गैरसायल मोहम्मद शरीफ को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सादडी जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सादडी उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली एवं थानाधिकारी सादडी पाली को भिजवाई जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
पाली

निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
पाली